

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
क्रमांक:एफ4()परावि/पी.सी./आदर्शग्राम/06/1230 जयपुर,दिनांक: 24-06-2007
प्रशासनिक स्वीकृति
(नये कार्यों के लिए)

“दीनदयाल उपाध्याय आदर्श ग्राम योजना” के अन्तर्गत जिला परिषदों के पत्रांक 580 दिनांक 22.2.2007 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव अनुसार वर्ष 2007-08 में सम्पादित काराये जाने वाले निम्नांकित कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(अ) जिला:- जयपुर

(ब) गांव का नाम:- नटाटा पंचायत का नाम:- नटाटा पंचायत समिति:- जमवारामगढ

(स) गांव के चयन की तिथि 20-12-06

(राशि रु. लाखों में)

| क्र. सं. | कार्य का नाम | स्वीकृत राशि | | |
|----------|---|--------------|--------------------|--|
| | | कुल | DDUAGY मद से (90%) | दिशा निर्देश के पैरा 2.5 के अनुसार श्रमदान अथवा जन सहयोग (10%) |
| 1 | वर्षा जल संचय/एनीकट निर्माण | 5.00 | 4.50 | 0.50 |
| 2 | चरागाह विकास एवं ग्राम वन | 4.00 | 3.60 | 0.40 |
| 3 | रा.प्रा.वि. कल्लिया की ढाणी में 2 कमरों का निर्माण. | 1.50 | 1.35 | 0.15 |
| 4 | गन्दे पानी की निकासी | 4.60 | 4.14 | 0.46 |
| 5 | खेल मैदान | 1.00 | 0.90 | 0.10 |
| 6 | आई.ई.सी. | 0.50 | 0.50 | - |
| | योग | 16.60 | 14.99 | 1.61 |

उपरोक्त कार्यों के क्रियान्वयन में निम्न शर्तों का पालन किया जायेगा :-

- 1- तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति ग्रामीण कार्य निर्देशिका के अनुसार जारी करने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया जावेगा।
- 2-ग्रामीण कार्य निर्देशिका, 2004 में निर्दिष्ट मापदण्डों एवं व्यवस्थाओं तथा योजना के प्रावधानों का पालना करते हुये ही कार्य का सम्पादन किया जावेगा।
- 3- आई.ई.सी. गतिविधि का सम्पादन जिला स्तर से निर्धारित एन.जी.ओ. द्वारा किया जावेगा।


(खेमराज)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि:-

- 1- अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, जयपुर।
- 2- विकास अधिकारी, पंचायत समिति जमवारामगढ (जयपुर)।
- 3- सरपंच, ग्राम पंचायत नटाटा पंचायत समिति जमवारामगढ (जयपुर)।


शासन सचिव एवं आयुक्त